



SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

कार्यालय महा प्रबंधक / OFFICE OF THE GENERAL MANAGER

रायगढ़ क्षेत्र / RAIGARH AREA

P.B No.27, P.O: Raigarh, Distt.: Raigarh (C.G) 496001

Ph. No.07762-222008, 224129, Fax No.07762-223152

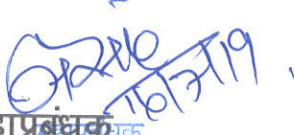
Website: www.secl.gov.in Email: seclrgh@gmail.com CIN-U10102CT1985GO1003161

कण्डिका क्र. 40

Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non. Forestry purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980 - Stipulation of additional Condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक Fno. 11-9/1998-FC दिनांक 04.01.2011)

वन संरक्षण अधिनियम-1980 अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों हेतु आवश्यक चेक लिस्ट में दर्शाये गये अभिलेख विवरण का बिंदु क्र. 40 के अनुसार हमारे संस्थान CHHAL OC SEAM-III (6MTY) परियोजना के प्रस्तावित Deemed Forest क्षेत्र का कुल रकबा 55.850 हे. है। अतः हमारे प्रकरण में यह लागू नहीं है।


महा प्रबंधक
एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र
General Manager
एस.ई.सी.एल., रायगढ़ क्षेत्र
SECL, Raigarh Area


उप वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वन मण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल
वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र
धरमजयगढ़ उप वन मण्डल


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वन मण्डल